रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2005/वैशाख 16, 1927
No. 465] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2005/VAISAKHA 16, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2005

का.आ. 647(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.78(अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 के 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंप दिया है ;

और, प्राधिकरण ने 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी सतारा-कगाल खंड के विकास के लिए, जो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का एक भाग है, मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेपियन सी रोड, प्रियदर्शनी पार्क, मुंबई - 400 036 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार किया है ;

और, केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के बीच किए गए उपर्युक्त करार के अनुसार 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी तक के सतारा-कगाल भूखंड के विकास के लिए जो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एक भाग है, तथा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर फीस उगृद्हीत और संगृहीत करने के लिए एक फीस अधिसूचना जारी करने के लिए प्राधिकरण के साथ करार किया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग, (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड / राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों / अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस की वसूली) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम. 1956 (1956

का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के बीच हुए ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 के 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, उक्त करार की समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

परिभाषाएं - अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) " वास्तविक फीस" से प्राधिकरण द्वारा यथा नियत 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी तक के प्रयोग के लिए सड़क प्रयोक्ताओं से वसूल की गई वास्तविक फीस और इस अधिसूचना में दी गई आधार फीस अभिप्रेत है ।

(ii) " वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख " से महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 के उक्त खंड पर वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख अभिप्रेत है, यह वह तारीख होगी जो प्राधिकरण और रियायतग्राही के मध्य किए गए करार के प्रावधानों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शदाता, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी करता है ।

(iii) " समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार समाप्त होता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) " स्थानीय वाणिज्यिक यातायात " से सवारियों और माल को लाने व ले जाने में लगी टैक्सियों, बसों, ट्रकों, हल्के मोटरीकृत वाहन अथवा किसी भी ऐसे वाणिज्यिक अभिप्रेत से है जो राजमार्ग परियोजना पर चलने के लिए रियायतग्राही के पास पंजीकृत हैं और जिन्हें एक प्लाजा से अधिक प्लाजाओं को पार नहीं करना होता ।

(v) " स्थानीय निजी यातायात " से किसी व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत वैयक्तिक वाहन से है जो सामान्यत: ऐसी जगह रहता है अथवा ऐसी जगह काम करता है जहां

पहुंचने के लि उसके वाहन को सामान्यत: राजमार्ग परियोजना के एक भाग को ही उपयोग करना होता है और उस व्यक्ति को अपमने कार्य स्थान अथवा निवास से आने-जाने के लिए एक प्लाजा से अधिक प्लाजाओं को पार नहीं करना होता, अभिप्रेत और अंतर्वलित है ।

(vi) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 के 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी खंड की बाबत प्राधिकरण और रियायतग्राही के मध्य हुए करार में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में इनके लिए नियत किए गए हैं ।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 के 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने के लिए 1 जुलाई, 1997 के अनुसार लागू आधार फीस की दरें ।

फीस दो प्लाज़ाओं पर, पहले 634.500 कि.मी. पर तथा दूसरे 694.000 कि.मी.पर संग्रहीत की जाएगी .

क्रम सं.	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति वाहन प्रति फेरा फीस की दर (रुपए प्रति कि.मी.)
1.	2.	. 3.
1.	मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के माल वाहन	0.70
3.	ट्रक	1.40
4.	बस	1.40

टिप्पणी:-

1. (i) पूर्वोक्त फीस प्रति वर्ष 1 जुलाई से पुनरीक्षित की जाएगी । पुनरीक्षित फीस की गणना (संगणित फीस) इस प्रकार की जाएगी :-

आधार फीस X $\frac{\text{डब्लयू पी आई}_1}{\text{डब्लयू पी आई}_0}$

अर्थातः

*डब्लयू पी आई$_0$ = 31 मार्च, 1997 को थोक मूल्य सूचकांक

*डब्लयू पी आई$_1$ = फीस संशोधन की तारीख से पहले 31 मार्च को थोक मूल्य सूचकांक

(ii) वसूल की जाने वाली वास्तविक फीस रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

2. रियायतग्राही, रियायत करार के अनुसार पूर्वता प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी. तक के भूखंड में से 70 कि.मी. से अन्यून लगातार भूखंड के चार लेन का बनाने के पश्चात् उपभोक्ता से फीस का उद्‌ग्रहण और संग्रहण प्रारम्भ कर सकेगा किन्तु जब तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी. तक का भाग चार लेन का नहीं बन जाता और उसकी बाबत अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाता तब तक रियायतग्राही के फीस उद्‌ग्रहण और संग्रहण के अधिकार 70 कि.मी. के लगातार भूखण्ड़ तक ही सीमित रहेंगे ।

3. रियायतग्राही इससे भी सहमत है कि थोक मूल्य सूचकांक के लिए फीस का वार्षिक पुनरीक्षण केवल तभी लागू होना बंद किया जायेगा जब प्राधिकरण द्वारा संचालित यातायात सैम्पलिंग के अनुसार राजमार्ग परियोजनाओं पर प्रतिदिन एक लाख पैसेंजर कार यूनिट हो जाएगा ।

4. अनुसूची में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट फीस से निम्नलिखित प्रकार के यान छूट प्राप्त होंगे, अर्थात :-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक, वाले अथवा शासकीय रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल;

(ध) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य मंडलों के विपक्ष के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो, जब वे यान में हों; अथवा

(छ) संसद सदस्य अथवा अपने-अपने राज्यों में विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल, द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं;

(आ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता;

(ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान ।

5. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता, टेलीफोन सं0, जिसे शिकायत की जानी है, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड को पढ़ना आसान हो और इसे अंग्रेजी, हिन्दी और उस क्षेत्र जिसमें उक्त भूखंड अवस्थित है, की प्रादेशिक भाषा में स्फष्ट रूप से लिख कर अथवा छपाई करके बोर्डों पर संप्रदर्शित किए जाएंगे ।

6. रियायतग्राही फीस की वसूली के लिए भारसाधक के रूप में एक अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा तथा रियायतग्राही और ऐसा अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए दायी होंगे कि फीस की वसूली करार की गई दरों से ऊंची दर पर न हो, सड़क प्रयोक्ताओं को अनुचित कठिनाई पहुंचाए बिना और फीस की वसूली से संबंधित अन्य

1440 GI/05-2.

सभी मामलों में किसी कठिनाई के बिना निर्बाध रूप से हो ।

7. दोनों पथकर बूथों से होकर गुजरने वाले यानों को 592.240 कि.मी. से 725.000 कि.मी तक संपूर्ण परियोजना खण्ड के लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करना होगा और एक पथकर बूथ से होकर गुजरने वाले वाहनों को उक्त फीस का 50 प्रतिशत संदाय करना होगा ।

8. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूटप्राप्त दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा :

- स्थानीय वैयक्तिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान के लिए लागू फीस का 50 प्रतिशत ।
- स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान के लिए लागू फीस का 50 प्रतिशत ।

तथापि, परन्तु, यदि स्थानीय यातायात के लिए अलग से शुल्क मुक्त सर्विस लेन खुली हुई है तो ऐसे वाहनों द्वारा चार लेन के राजमार्ग को उपयोग करने पर रियायतग्राही फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करेगा ।

9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से न्यूनतम 10 दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों (इनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा । ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित दर के प्रभावी होने से 10 दिन पहले प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाएगा ।

10 प्रयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली वास्तविक फीस की गणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किन्तु वृद्धि दर लागू होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथाशीघ्र संभव विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी । प्राधिकरण, फीस संशोधन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संभव किन्तु फीस पुनरीक्षण प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर टिप्पणी भेजेगा अथवा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करेगा । यदि प्राधिकरण संशोधित फीस की इस अवधि में कोई टिप्पणी नहीं देता अथवा स्पष्टीकरण नहीं देता अथवा स्पष्टीकरण नहीं मांगता जैसा कि रियायतग्राही द्वारा प्रस्ताव किया गया था, प्राधिकरण द्वारा उसकी पुष्टि की हुई मानी जाएगी ।

11. फीस दो पथकर बूथों पर पहले 634.500 कि.मी. पर और दूसरे 694.000 कि.मी. पर सगृहीत की जाएगी ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/45/2004-पी आई सी]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2005

S.O. 647(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, No. S.O. 78(E) dated 4th February 1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988,(68 of 1988), the Central Government has entrusted the section from km 592.240 to km 725.000 of the National Highway No. 4 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And, whereas, the Authority has entered into an agreement with M/s Maharashtra State Road Development Corporation Limited, Napean Sea Road, Priyadarshini Park, Mumbai – 400 036 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the development of the Satara – Kagal stretch from km 592.240 to km 725.000 which forms part of the said section of the said National Highway;

And, whereas, the Central Government has entered into an agreement with the Authority for the development of the said Satara – Kagal stretch from km 592.240 to km 725.000 which forms part of the section of the said National Highway and to issue a fee notification to levy and collect the fees from the said National Highways in terms of the aforesaid agreement entered into between the Authority and the said concessionaire;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch of the said National Highway No. 4, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement entered into between the Authority and the said Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch of national highway starting from km 592.240 to km 725.000 of National Highway No. 4 in the State of Maharashtra at the rate specified in the Schedule below, and authorizes the said Concessionaire, to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette whichever is later and until the termination date as specified in the agreement.

Definitions, - In the notification, unless the context otherwise requires, -

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users from km.592.240 to Km. 725.000 as may be fixed by the Authority and the base fee given in the Schedule to this notification;

(ii)"date of commercial operation" means the date on which the commercial operation of the said section of the National Highway No. 4 in the State of Maharashtra begins which shall be the date on which the Independent Consultant issues the Completion Certificate or the Provisional Certificate as the case may be, upon completion of the said section of the said National Highway in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii)"termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice;

(iv)"local commercial traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the project highway without crossing more than one of the Plazas;

(v)"local personal traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the Concessionaire, by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the Project Highway and such person is, therefore, required to use such vehicle for commuting on a part of the Project Highway, without crossing more than one of the Toll Plazas, in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

(vi)words and expressions used in this notification but not defined here, but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of section from km 592.240 to km 725.000 of the National Highway No. 4 in the State of Maharashtra shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

SCHEDULE

(Rate of base fee to be recovered from the users of National Highway No. 4 from km. 592.240 to km. 725.000 applicable as on July 1, 1997).

The fee shall be collected at two plazas, one at km 634.500 and another at km 694.00

Serial number	Particulars of the Vehicle	Rate of base fee per vehicle per trip (in Rupees per km)
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Car, Passenger van or Jeep	0.40
2.	Light Goods Vehicle (LGV)	0.70
3.	Truck	1.40
4.	Bus	1.40

NOTES:

1. (i) The aforesaid fee will be revised with effect from 1st July every year. The revised fee shall be computed ("Computed Fee") as follows:

$$\text{Base Fee} \times \frac{WPI_1}{WPI_0}$$

Where

* WPI_0 = is the Whole Sale Price Index on March 31, 1997

* WPI_1 = is the Whole Sale price Index on March 31; preceding the fee- revision date.

(ii) The actual fees to be charged shall be rounded off to the nearest rupee.

2. The Concessionaire may commence levying and collecting fees from the users after four laning of a continuous stretch of not less than 70 kms out of stretch from km 592.240 to km 725.00 on National Highway No.4, from the date of issuance of Completion Certificate as per the Concession Agreement. Provided until the entire stretch from km 592.240 to Km 725.00 of NH No.4 is four laned and the final Completion Certificate in respect thereof is issued, the Concessionaire's right to levy and collect fees shall be limited to a continuous stretch of 70 kms only.

3. The Concessionaire further agrees that the annual revision in the fees in terms of Wholesale Price Index shall cease to be applicable once the traffic on the Project Highway, as per traffic sampling conducted by Authority, reaches one lakh Passenger Car Units per day.

4. The following types of vehicles shall be exempted from the fee specified above in the Schedule, namely :-

(i) Vehicles,-

(A) having "VIP" symbols; or Officially belonging to –

(a) the President of India;

(b) the Vice President of India;

(c) the Governor of a State or Lt. Governor of a Union Territory;

(d) a Foreign Dignitary on State visit to India;

(e) a Foreign diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates;

(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

(g) a Member of Parliament, or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such Award;

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, vehicles of the Department of posts and telegraphs and Central Government and State Government vehicles on duty.

5. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also. The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and they shall be legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the stretch is situated.

6. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection, and the Concessionaire and also said officer shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users, and for all other matters connected therewith.

7. Vehicles passing through both the toll booths are required to pay the specified fee for the entire project stretch between km 592.240 and km 725.000 and vehicles passing through only one of the toll booths are required to pay 50% of the said fee.

8. The Concessionaire, shall not collect any fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates:

-local personal traffic	:50% of the applicable fees for the specified category of vehicle.
- local commercial traffic	:50% of the applicable fees for the specified category of vehicle.

Provided however, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the four-lane Highway.

9. The Concessionaire, shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation. Such substance shall also be repeated every year, ten days prior to giving effect to revised rates as per this notification.

10. The actual fees to be charged to users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March every year, but at least forty five days before the rate increase is to be effective. Authority shall provide any comments or request clarifications as soon as possible upon receipt of the fee revision proposal but not later than fifteen days of receipt of the fee revision proposal. If the Authority does not offer comments or seek clarification during this period, the revised fee as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

11. The fee shall be collected at two toll booths one at km 634.500 and the other at km 694.00.

[F. No. RW/NH-37011/45/2004-PIC]
ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.